।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

(4)

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/14 तारीख रज्जू 08.02.2019

2019
34

01– श्रीमति दिव्या पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी जयपुर रोड, अलवर राज० हाल मकान नम्बर 238 कैम्प YNR फारकपुर यमुना नगर, कैम्प थाना जिला यमुना नगर –प्रार्थनी

बनाम

01– राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवीराम जाति ब्राह्मण

02– विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण

निवासीयान भूरासिद्ध, हनुमान मन्दिर के पास, जयपुर रोड, अलवर

–अप्रार्थीगण

03– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर मालाखेडा जिला अलवर

–तकमीली अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

–: निर्णय :–

दिनांकः 14.08.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 202, 203, 209, 215, 36, 64, 65, 67 के राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 346, 355, 356

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/140 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 361 में प्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज है। यह आराजी पैतृक हिन्दू मुश्तर्का खानदानी की आराजी है। प्रार्थनी अप्रार्थी संख्या–2 की शादीशुदा पत्नी है। जिसका उक्त आराजी में हिस्सा है। शादी के पश्चात से प्रार्थनी का अप्रार्थी संख्या–1 की आराजी में 1/4 भाग में से 1/3 हिस्सा है। प्रार्थनी को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने घर से निकाल दिया है एवं उक्त वादग्रस्त आराजी को बेचान करने पर ऊतारू है। प्रार्थनी को जबरन लट्ठ के बल पर उसके हिस्से से बेखल करने पर आमादा है। प्रार्थनी अपने हिस्से को अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज कराने की अधिकारी है। प्रार्थनी ने दिनांक 05.02.2019 को उक्त आराजी अपने नाम दर्ज करने के लिए कहा तो उन्होने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। वाद के निर्णय में समय लगने की संभावना है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थनी की एक पक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 08.02.2019 को अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से आराजी खसरा नम्बर 202 रकबा 0.09 है०, 203 रकबा 0.11 है० 209 रकबा 0.51 है०, 215 रकबा 0.10 है०, 36 रकबा 1.02 है०, 64 रकबा 0.02 है०, 65 रकबा 0.74 है०, 67 रकबा 1.01 है० कुल किता 8 रकबा 3.06 है० एवं खसरा नम्बर 346 रकबा 0.32 है० 355 रकबा 0.32 है० 356 रकबा 0.42 है० कुल किता 3 रकबा 1.06 है० एवं खसरा नम्बर 361 रकबा 0.09 है० वाके ग्राम चांद पहाडी तहसील मालाखेडा में प्रार्थिया को जबरन बेदखल कर कब्जा ना करे व कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत ना करे वादग्रस्त आराजी को रहन, बय हिबा द्वारा मुन्तकिल व मकफूल ना करने हेतु पाबन्द किया गया।

प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायालय में जर्ये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

आराजी मुश्तर्का खानदान की नही है ना ही विरासत में प्राप्त हुई है बल्कि विवादित आराजी में मिन अप्रार्थी संख्या–1 अपने हिस्से का अभिलिखित काबिज खातेदार काश्तकार है। किसी अन्य का वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नही है, ना ही अप्रार्थी संख्या 2 का कोई हक व हिस्सा है। यह सही है कि प्रार्थनी का विवाह अप्रार्थी संख्या 2 के साथ धर्मशास्त्र के अनुसार अग्नि के समक्ष फेरे लेकर सम्पन्न हुआ। शादी के समय इस प्रकार की कोई वार्तालाप नही हुई कि विवादित आराजी दादालाई हिन्दु मुश्तर्का खानदान का होना व शादी के बाद विवादित आराजी में प्रार्थनी का बराबर का हिस्सा होने के बारे में कहा हों। वादग्रस्त आरजी में प्रार्थनी का 1/4 हिस्से में से 1/3 हिस्सा नही है, ना ही प्रार्थनी को बिना युक्तियुक्त कारण से घर से नही निकाला है। प्रार्थनी स्वेच्छा से अपने पति को छोडकर पीहर में रह रही है। प्रार्थनी ने विभिन्न न्यायालयों में मुकदमें दर्ज कर अप्रार्थीगण को तंग व परेशान कर रखा है। अप्रार्थी संख्या–1 शराबी नही है व अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध उसके चरित्र पर झूठा लांछन लगाया है। प्रार्थनी का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सरोकार व संबंध नही है। प्रार्थनी गैर काबिज है। अप्रार्थी संख्या–1 वादग्रस्त आराजी का खातेदार है। जो वादग्रस्त आराजी का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिसे उक्त आराजी को बेचान करने व मुन्तकित करने के नैतिक व विधिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थनी का कभी कोई हिस्सा नही रहा। जब अप्रार्थी संख्या–2 विरेन्द्र का उक्त आराजी में कोई हिस्सा नही है तो फिर प्रार्थनी का हिस्सा होने का सवाल ही नही है। प्रार्थनी गांव में नही रहती पीहर में रहती है। दिनांक 05.02.2019 की घटना मनघढन्त बतलाते हुए प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थनी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर प्रार्थना पत्र में दर्ज विवरण को दोहराते हुए प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 08.02.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) करने का न्यायालय को निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दिनांक 08.02.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का न्यायालय को निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 08.02.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आराजी खसरा नम्बर 202 रकबा 0.09 है०, 203 रकबा 0.11 है० 209 रकबा 0.51 है०, 215 रकबा 0.10 है०, 36 रकबा 1.02 है०, 64 रकबा 0.02 है०, 65 रकबा 0.74 है०, 67 रकबा 1.01 है० कुल किता 8 रकबा 3.06 है० एवं खसरा नम्बर 346 रकबा 0.32 है० 355 रकबा 0.32 है० 356 रकबा 0.42 है० कुल किता 3 रकबा 1.06 है० एवं खसरा नम्बर 361 रकबा 0.09 है० वाके ग्राम चांद पहाडी तहसील मालाखेडा पर दिनांक 08.02.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner